निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड

उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत, अल्मोड़ा
दूरभाष– 05966–220260, फैक्स– 05966–221074
दूरभाष कार्यालय–बागवानी मिशन, देहरादून, 0135–2759799, 2759796
ई–मेलः– **dirudyanhorti@gmail.com, missionhortiuk@gmail.com**

उत्तराखण्ड में सेब उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित "मिशन एप्पल" योजना के क्रियान्वयन हेतु सेब के अति सघन बागानों की स्थापनाकर्ता इच्छुक फर्मों/कम्पनियों के पंजीकरण हेतु विज्ञप्ति

राज्य सरकार द्वारा संचालित "मिशन एप्पल" योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में राज्य के पर्वतीय जनपदों में सेब के अति सघन बागानों की स्थापना की जानी है। योजनान्तर्गत क्लोनल रूट स्टॉक पर उच्च गुणवत्तायुक्त रोग रहित रोपण सामग्री, निवेशों तथा अत्याधुनिक तकनीकों के उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए 0.40 है0 क्षेत्र में सेब के अति सघन बागानों की स्थापना हेतु निम्नलिखित विशिष्टियों (Specification) के अनुसार कुल लागत रू0 12.00 लाख (समस्ट टैक्स/GST सहित) निर्धारित की गयी हैः–

Sl. No.	Apple Plantation Structure (Ultra – High - Density)
1.	High Value disease free Planting Material minimum 1000 plants per acre (minimum 30% polinizer)
2.	Installation of Drip Irrigation and Fertigation System (Water Tank - 4000 lt capacity, Water pump, By Pass Valve, Sand Separator / Hydrocyclone Filter, Screen Filter, Venturi Injector, Pressure Gauge, Sand / Media Filter, NRV, Main Line and Sub Main Line, Control Valve, Air Release Valve, Flash Valve, Lateral, End Cap, Drippers / Emitters)
3.	High Quality Woven Plastic Mulching (UV Stabilized with minimum 200 GSM with sufficient life span)
4.	Anti Hail net (UV Stabilized, Monofilament – 69/70 GSM)
5.	Solar fencing
6.	Fertilizers and chemicals
7.	Tools/Equipments
8.	Layout, Installation charges including labour charges
9.	Monitoring and management for minimum two year

योजनान्तर्गत प्रति बागान 0.40 है0 हेतु कुल निर्धारित लागत अधिकतम रू0 12.00 लाख का 80 प्रतिशत रू0 9.60 लाख प्रति लाभार्थी की दर से राज सहायता प्रदान की जानी है। योजना का क्रियान्वयन विभाग द्वारा जनपदों के मुख्य/जिला उद्यान अधिकारियों व अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के माध्यम से चयनित प्रगतिशील कृषकों के प्रक्षेत्रों पर सेब उत्पादन से सम्बन्धित फर्म/संस्था के सहयोग से Turnkey basis पर किया जाना है। सम्बन्धित फर्म/संस्था द्वारा भूमि विकास, घेरबाड, क्लोनल रूट स्टॉक पर तैयार उच्च उत्पादन वाली रोग रहित उन्नत प्रजाति की रोपण सामग्री, आवश्यक औद्यानिक निवेश (खाद, उर्वरक, कीट/व्याधि नाशक रसायन आदि), प्लास्टिक मल्चिंग, एन्टीहेलनेट एवं सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली इत्यादि कार्य क्रियान्वित करने होगें।

पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप तथा शर्तें दिनांक 21.06.2018 की प्रातः 10:00 बजे से कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून से बिक्री कर सहित मूल्य रू0 1,100/ (रूपये एक हजार एक सौ मात्र) का भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है तथा बागवानी मिशन की वैबसाईट www.shm.uk.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। वैबसाईट से डाउनलोड प्रारूप को जमा करने हेतु रू0 1,180/ (रूपये एक हजार एक सौ अस्सी मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का हो निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत, अल्मोड़ा के नाम रानीखेत शाखा में देय हो, संलग्न करना होगा। पंजीकरण हेतु सूचनायें निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 10.07.2018 की सांय 05:00 बजे तक कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून में प्रशासनिक अधिकारी के पास जमा करनी होगी।

(आर0सी0 श्रीवास्तव)
निदेशक, उद्यान

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड

उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत, अल्मोड़ा
दूरभाष– 05966–220260, फैक्स– 05966–221074
दूरभाष कार्यालय–बागवानी मिशन, देहरादून, 0135–2759799, 2759796
ई–मेलः– dirudyanhorti@gmail.com, missionhortiuk@gmail.com

उत्तराखण्ड में सेब उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित "मिशन एप्पल" योजना के क्रियान्वयन हेतु सेब के अति सघन बागानों की स्थापनाकर्ता इच्छुक फर्मो/कम्पनियों के पंजीकरण हेतु शर्ते

राज्य सरकार द्वारा संचालित "मिशन एप्पल" योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में राज्य के पर्वतीय जनपदों में 01 एकड़ क्षेत्रफल हेतु सेब के अति सघन बागानों की स्थापना की जानी है। योजनान्तर्गत क्लोनल रूट स्टॉक पर उच्च गुणवत्तायुक्त रोग रहित रोपण सामग्री, निवेशों तथा अत्याधुनिक तकनीकों के उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए अधिकतम 0.40 है0 (20 नाली) क्षेत्र में सेब के अति सघन बागान स्थापना हेतु निर्धारित विशिष्टियों (Specification) के अनुसार कुल लागत अधिकतम रू0 12.00 लाख निर्धारित की गयी है। उक्त इकाई स्थापना हेतु इच्छुक फर्मो/कम्पनियों के पंजीकरण हेतु शर्ते निम्न प्रकार हैं:–

1. इकाई की स्थापना हेतु विशिष्टियॉ (Specifications) निम्नवत् होगीः–

Sl. No.	Apple Plantation Structure (Ultra – High - Density)	Maximum Amount including GST (Rs in lakh)
1.	High Value disease free Planting Material 1000 plants (minimum 30% polinizer) 1. The plant height should be 5ft + 2. The height at the graft level should be as per cultivar and root stock 3. The plant should have 3+ feathers (small side branches) 4. The rootstock & the scion wood should be from identified virus free-sources. In case of imported rootstock & scion wood, the import document should be produced. 5. The root structure should be strong enough with more than 20 fibers of at least 6 inch. long. 6. Varieties:- Red Spur Del, Jeromine, Red Velox, Super Chief, Gale Gala, Buckey Gala, Decarli Gala, Scarlet 3 evasani, Red Kan, Scarlet 2, Ginger Gold, Golden Delicious, Granny Smith, Fuji etc.	
2.	Installation of Drip Irrigation and Fertigation System (Water tank – 4000 lt capacity, Water pump, By Pass Valve, Sand Separator / Hydro Cyclone Filter, Screen Filter, Venturi Injector, Pressure Gauge, Sand / Media Filter, NRV, Main Line and Sub Main Line, Control Valve, Air Release Valve, Flash Valve, Lateral, End Cap, Drippers / Emitters)	
3.	High Qulaity Woven Plastic Mulching (UV Stabilized with minimum 200 GSM with sufficient life span)	
4.	Anti Hail net (UV Stabilized, Monofilament – 69/70 GSM) 1. Hail net of thickness 10mm mash, monofilament, UV stabilized, specialized for hails, with life warranty of minimum 5 years, Complete covering on the structure. 2. The Hail-Net house structure needs to be strong enough to withstand the wind speed of 100 km/hr. 3. The stake wire and the VERMS, should also be strong to hold the weight of the plants when loaded with the fruits should have following specification:- Structure Poles:- 1. 4.7 meter high, 2 inch diameter and 2 mm wall thickness, stake wire rope Galvanised. 2. Trellis support wires, should be GI, High tensile carbon steel wire (Zinc coated 2-3 mm thickness), fitted with adjusters for tightening. 3. VERMS (for stake wires), 4 & ½ ft long, 30 mm steel rods, with worm plats (5 mm) on the base to be used all around the structure for the stake wires.	

5.	Solar fencing 1. 5 feet height with 6 wires, fitted on GI-poles, standards, use 12 guage heavy hot dipped galvanized wire and insulators – Standard. 2. The solar panels, 70 watt, with re-chargeable battery of 70amp with induction electric convertor and alarm system. 3. The fencing should be closed with gates & lock, properly insulated. 4. The system should be eco-friendly, safe and effective. 5. Use of quality components which offer little resistance for power flow as in wires or prevent leakages as in insulators. 6. Adequate earthing to ensure movement of electrons through the ground. 7. Suitable fence layout. 8. To maintain the difference in voltage between the earth and live wire below 200V.	
6.	Fertilizers and chemicals (as per requirement – please specify details) with application schedule	
7.	Tools/Equipments (as per requirement – please specify details)	
8.	Layouts, Installation charges including labour charges	
9.	Monitoring and management for minimum one year	

2. कास्तकारों के प्रक्षेत्रों एवं प्रजातियों का चयन सम्बन्धित जनपद के मुख्य/जिला उद्यान अधिकारी/उद्यान विशेषज्ञ, कोटद्वार यह सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा कि सम्बन्धित प्रक्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों, समुद्र तल से ऊंचाई एवं जलवायु हेतु संस्तुत प्रजाति सेब उत्पादन हेतु उपयुक्त है।

3. चयनित प्रगतिशील कृषकों के पास सिचांई सुविधायुक्त कम से कम 0.40 है0 भूमि होनी आवश्यक है।

4. योजनान्तर्गत सेब बागान स्थापना की कुल लागत का 80 प्रतिशत राजसहायता चयनित फर्म/कम्पनी को दो समान किस्तों में प्रदान की जायेगी तथा 20 प्रतिशत कृषक द्वारा वहन किया जायेगा।

5. पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप तथा शर्तें कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून से दिनांक 21.06.2018 की प्रातः 10:00 बजे से किसी भी कार्य दिवस में GST सहित मूल्य रू0 1,180/ (रूपये एक हजार एक सौ अस्सी मात्र) का भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है।

6. पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप तथा शर्तें बागवानी मिशन की वैबसाईट www.shm.uk.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं, परन्तु वैबसाईट से डाउनलोड प्रारूप को जमा करते समय रू0 1,180/ (रूपये एक हजार एक सौ अस्सी मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का हो निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड के नाम रानीखेत शाखा में देय हो, संलग्न करना होगा।

7. पंजीकरण हेतु सूचनायें निर्धारित प्रारूप में दिनांक 10.07.2018 को सांय 05:00 बजे तक कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून में प्रशासनिक अधिकारी के पास जमा करनी होगी।

8. यदि फर्म द्वारा प्रस्तुत वित्तीय दरें निर्धारित लागत अथवा उससे कम पायी जाती हैं तो पंजीकरण से पूर्व जमानत धनराशि के रूप में रू0 8.00 लाख (रूपये आठ लाख मात्र) की बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद (FDR), जो कि निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत के नाम बन्धक हो उपलब्ध करानी होगी, जिसकी वैद्यता दिनांक 31.03.2020 तक होनी अनिवार्य है।

9. फर्म/कम्पनी द्वारा यदि किसी निवेश का आयात विदेशों से किया जाता है तो Certificate of Importer – Exporter Code (IEC) का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा तथा रोग रहित आयातित एवं स्वदेशी ग्राफ्टेड पौधों हेतु Plant Quarantine सक्षम स्तर (भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्थान) का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा अभिलेखीय रिकोर्ड हेतु अनुरक्षित करना होगा, जिसे मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा एवं फर्म/संस्था की पौधशाला का राज्य की पौधशाला एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक होगा।

10. देश से बाहर की फर्म/कम्पनी होने पर उनकी देश में Authorized Dealership का प्रमाण संलग्न करना होगा।

11. इकाई की स्थापना उत्तराखण्ड के विभिन्न जनपदों के चयनित कास्तकारों के प्रक्षेत्रों पर समान दर से करनी होगी।

12. इकाई स्थापना के पश्चात कम से कम 02 वर्ष की गारन्टी/वारन्टी प्रदान करने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

13. फर्म/कम्पनी के GST एवं पैन नम्बर की वैद्य प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी।

14. फर्म/कम्पनी का वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम रू0 1.00 करोड़ होना आवश्यक है, जिसके साक्ष्य में चार्टेड एकाउन्टेन्ट (CA) की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।

15. पंजीकरण की वैधता तिथि दिनांक 31.03.2020 तक होगी।

16. विभाग की आवश्यकतानुसार पंजीकरण व्यवस्था को किसी भी समय नवीनीकरण अथवा समाप्त किया जा सकता है।

17. विभाग से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कृषक अपनी इच्छानुसार विभाग में पंजीकृत किसी भी फर्म/कम्पनी से इकाई स्थापना कराने हेतु स्वतन्त्र होगा।

18. भारत सरकार अथवा उत्तराखण्ड राज्य द्वारा यदि टैक्स/ड्यूटिज आदि प्रदत्त सुविधा में कोई कटौती अथवा बढ़ोतरी/परिवर्तन किया जाता है तो पंजीकृत फर्म के स्वामी का यह दायित्व होगा कि. वह इसकी सूचना निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत, अल्मोड़ा को तत्काल उपलब्ध करायेगें।

19. यदि फर्म/कम्पनी के मानक सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की वैद्यता तिथि 31.03.2020 से पूर्व समाप्त होती है तो फर्म को नवीनीकृत पंजीकरण के प्रमाण पत्र की छायाप्रति अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी अन्यथा फर्म का पंजीकरण समाप्त कर दिया जायेगा।

20. फर्म/कम्पनी द्वारा पंजीकरण के समय समस्त वांछित अभिलेखों की मूल प्रति उपलब्ध करानी होगी।

21. चयनित फर्म/कम्पनी द्वारा जिन कास्तकारों के प्रक्षेत्र पर इकाई स्थापना की जायेगी, उन्हें इकाई के रखरखाव, संचालन के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा सम्पूर्ण Package of Practice उपलब्ध कराया जायेगा तथा कम से कम 01 वर्ष तक बगीचों का तकनीकी प्रबन्धन एवं कृषक का मार्गदर्शन करना होगा, जिस हेतु फर्म/कम्पनी के पास तकनीकी दक्ष कार्मिकों के होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

22. फर्म/कम्पनी को रू0 100/ के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि प्रस्तुत की जा रही दरों से कम दरों पर फर्म/कम्पनी द्वारा किसी अन्य राज्य/विभाग में आपूर्ति नहीं की जा रही है।

23. इस परियोजनान्तर्गत क्लोनल मूल वृन्त पर कलम के माध्यम से तैयार किये गये सेब की उच्च उत्पादन वाली उन्नत प्रजातियों की ही पौध रोपण सामग्री के पौधों का रोपण किया जायेगा, जो कि शतप्रतिशत रोगरहित हों तथा न्यूनतम 3 to 5 + feathers युक्त हों।

24. विभाग को पूर्ण रूप से अधिकार होगा कि किसी भी फर्म/कम्पनी के आवेदन को शर्तों के अनुरूप न पाये जाने पर अथवा अन्य किसी भी कारण से बिना कारण बताये निरस्त कर सके। साथ ही किसी भी वाद की स्थिति में विभाग को पूर्ण पंजीकरण प्रक्रिया निरस्त करने का भी पूर्ण अधिकार होगा।

25. किसी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र देहरादून होगा।

निदेशक, उद्यान